न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 486   दिनांक 08/04/2024

अनवान :–

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
दरियादेवी	बनाम	मूमलदेवी वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं.140/2022   दिनांक : 03.04.2024

आदेश

तहसीलदार **चौहटन** को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील **चौहटन**, पटवार क्षेत्र **बूठ राठोड़ान** के मौजा **बूठ राठोड़ान** के खेत खसरा सं. 707/260 **रकबा:** 03.5369 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीनी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2024/ 887 to 890   दिनांक 08/04/2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:45:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीनी दरिया देवी
3. विप्रार्थीगण मूमलदेवी वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ/से...

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन